भुगतान प्रकिया

इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त अधिकारियों से डाक द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अथवा ई–मेल द्वारा निर्धारित भुगतान के साथ आवेदन पत्र भेजा जा सकता है । सूचना के लिए शुल्क की मॉडल अनुसूची निम्नलिखित है :

धारा 6 की उपधारा 1 के तहत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ अवर सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, जिसे कि अधिनियम के तहत इस जन प्राधिकार का लेखा अधिकारी भी पदनामित किया गया है, के नाम से दस रूपये का ड़िमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा नगद जमा रसीद भी संलग्न करनी होगी ।

धारा 7 की उपधारा 1 के तहत सूचना प्रदान करने के लिए अवर सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के नाम से नगद जमा रसीद अथवा डिमांडड्राफट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा निम्नलिखित दरों से शुल्क लिया जाएगा :–

(क) दी जाने वाली सूचना अथवा प्रतिलिपि के प्रत्येक 1 पृष्ठ (पेज आकार ए 3 अथवा ए 4) हेतु दो रूपये ;
(ख) बड़े आकार के पेज की वास्तविक लागत अथवा/प्रभार ;
(ग) प्रतिरूपों अथवा मॉडल की वास्तविक लागत अथवा मूल्य ; और
(घ) रिकार्ड के निरीक्षण हेतु पहले एक घंटे का कोई शुल्क नहीं तत्पश्चात प्रति पन्द्रह मिनट के हिसाब से पांच रूपये या इसका भाग।

इसके पश्चात :

धारा 7 की उपधारा 5 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अवर सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के नाम से नगद जमा रसीद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा निम्नलिखित दरों से शुल्क लिया जाएगा :–
(क) डिस्क अथवा फ्लापी में सूचना हेतु 50 रूपये प्रति डिस्क अथवा फ्लॉपी ; और
(ख) प्रकाशित सामग्री की सूचना हेतु प्रकाशन के निर्धारित मूल्य या इसकी फोटो कापी हेतु दो रूपये प्रति पृष्ठ ।